

प्रधक

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि क्रमांक 54-व-5-2015/ 3651
चण्डीगढ दिनांक 16/3/2015

187

विषय: Diversion of 0.014476 ha. of forest land for access to Retail Outlet of BPC Ltd. along Sonipat-Kharkhoda road, Km. 22, R/side, at village Anandpur, under forest division and District Sonipat.

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक डी-III-6119/4680, दिनांक 13.03.2015।

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.014476 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है।


- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पौधे काटे जायेंगे।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार तालू अप्रोच रोड, कि०मी० 0-3, बायी तथा दायी ओर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 24643/-रु (चौबीस हजार छः सौ तैतालीस रूपये) की राशि 29 लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर- हो जाना चाहिए।
- (vi) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपयुक्त पौधारोध पहुच मांग, विजाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियों के अनुसार किया जायेगा।
- (v) प्रदेश एवं निकास को छोड कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।
- (vi) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
- (vii) पेट्रॉल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेडो का वृक्षारोपण किया जाये।
- (viii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाय गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (ix) Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी छट्ट की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई छट्ट की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी। साथ लगते वन और वन भूते को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- (xi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- (xii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- (xiii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- (xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।


NI
K/20

2/40
193

- (xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करायें ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
- (xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xvii) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 उच्च सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जायेगी ।
- (xviii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा ।
- (xix) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xx) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।
- (xxi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. राज्य सरकार इन स्वीकृति को स्थागित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।


16/3/15
विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग । 

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं० 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत ।